Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण हेतू राज्य सरकार की योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अनुपमा यादव* अनिल कुमार रजक**

* शोध निर्देशक, बाबुलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो का मध्यप्रदेश की योजनाओं का लाभ के बारे में अध्ययन करना। अनूसूचित जाति व जनजाति के अधिकार व जीवन संस्कृति के बारे में पता लगाना हैं। शोध–प्रपत्र मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य पर केन्द्रित हैं, भारत के मध्यप्रदेश राज्य में जनजातीय जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती हैं। ये जनजातीय समूह प्रदेश के अनेक अंचलों जैसे मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड व महाकौशल में निवास करती हैं। राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्र से जुड़े होने के कारण इन प्रदेश की भी कुछ जनजातियॉ सीमान्त क्षेत्रो में निवासरत हैं। इसलिए मध्यप्रदेश को जनजातियों में जनसंख्या की अधिवत्ता का क्रम के अनुसार गौड़, भील, कौल कमार, उराँव, सहरिया अनूसूचित जाति चमार, मेहरा, कौरी, मीणा हैं मध्यप्रदेश शासन के जनजातिय कार्य विभाग द्वारा जनजातियों के विकासार्थ शैक्षणिक आर्थिक एवं अन्य विकास योजनाएँ संचालित हैं, जो उनके विकास में बहुत ही सहायक हैं।

शब्द कुंजी –मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जनजाति आदिवासी, उपयोजना सामाजिक आर्थिक, सास्कृतिक, कल्याण योजनाएँ।

प्रस्तावना – वर्तमान भारत में सर्वाधिक अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला देश हैं। मध्यप्रदेश भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित किसी भी अन्तराष्ट्रीय सीमा से अछूता पूरी तरह से भू–आवेष्ठित राज्य हैं, जो कि राज्य पुर्नगठन आयोग की अनशंसा पर 1 नवम्बर 1956 को गठित किया गया था। 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश का विभाजन कर नवीन छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से पृथक कर नये राज्य का गठन किया गया। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति $21^0 6'$ उत्तरी अक्षांश से $26^0 54'$ उत्तरी अक्षांश तथा 74^0 पूर्वी देशान्तर से $82^0 47'$ पूर्वी देशान्तर तक हैं इसकी पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई 870 किलोमीटर चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) 'अनुसूचित जनजातियाँ पद सर्वप्रथम प्रकट हुआ जिसमें ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हे इस सविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनूसूचित जनजातियाँ माना गया हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं।

मध्यप्रदेश में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हैं। सविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रो और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में 244(1) में पांचवी अनुसूची के संबंध के तहत रखा गया हैं। मध्यप्रदेश राज्य की अनूसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमश: कारे, मीणा, एवं पारधी जनजातियों को सूची में विलोपित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश की अनूसुचित जाति एवं जनजाति– वर्तमान भारत में सर्वाधिक अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य मध्यप्रदेश ही है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7,26,26,809 तथा अनूसूचित जनजाति जनसंख्या 1,53,16,784 हैं। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत हैं, जिसमें से अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या 7,597,380 हैं। मध्यप्रदेश में जिलेवार जनजातिय जनसंख्या का वितरण असमान प्रतीत होता हैं।

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्रमश: बैगा, भारियाँ और सहरिया हैं जिसमें कुल जनसंख्या लगभाग 5.51 लाख हैं। यह कुल जनजातीय आबादी का 4.51 प्रतिशत के आसपास हैं। इन जनजातियों के लिए ग्यारह विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रधिकरणों का गठन किया गया हैं।

अनूसूचित जाति– अंग्रेजी शासन काल के दौरान वर्ष 1931 में साईमन कमीशन ने भारत में अछूत जातियों के सर्वे का आदेश जारी किया। इसके तहत जेएच हट्टन को जनजातीय जीवन एवं प्रणाली के पूर्ण सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौपी गई।

हट्टन कमेटी ने देश की जातियों का सर्वे किया, और 68 जातियों को अछूत की श्रेणी में रखा।

अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1935 में **गर्वमेन्ट आफॅ इंडिया एक्ट** के तहत 68 जातियो को विशेष दर्जा दिया। ये जातियाँ स्पेशल कास्ट यानि एससी कहलायी।

अनूसूचित जाति में शामिल करने की प्रक्रिया– किसी भी समूदाय को अनूसूचित जाति की सूची में शामिल करने प्रक्रिया की शुरूवात राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार किसी समुदाय को अनूसूचित जाति में

शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजती हैं। जिसके बाद इस प्रस्ताव पर भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनूसूचित जाति आयोग की मंजूरी ली जाती हैं।

अनूसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित प्रावधान– अनुच्छेद 15(4) के पिछड़े वर्गो (एससी सहित) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रावधान करता हैं।

अनु0–17 अस्प्रष्यता की प्रथा को समाप्त करता हैं– अनु0–46 अनूसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षिणिक व आर्थिक हितो का प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण में सूरक्षा प्रदान करता हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनूसूचित जाति व जनजाति के लिए चलाई गई योजनाएँ – मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनूसूचित जाति व जनजाति के लिए कई योजनाएँ चलाती है, जिसमें शिक्षा एवं छात्रवृत्ति (जैसे महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना), कौशल विकास (जैसे रानी दूर्गावती प्रशिक्षण अकादमी और स्वरोजगार जैसे भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टॅट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना) शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भी योजनाएँ हैं, जैसे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें आवास सड़के और पेयजल जैसी सुविधाएँ शामिल है।

शिक्षा और छात्रवृत्ति

1. **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना–** अनूसूचित जनजाति व जाति के छात्रों के लिए जो राज्य और संघ लोक सेवा आयोग जैसी परिक्षाओं की तैयारी करते है।
2. **शोध छात्रवृत्ति–**अनूसूचित जनजाति व जाति के छात्रों को पी0 एच0डी0 के लिए।

कौशल विकास और स्वरोजगार:

1. **रानी दूर्गावती प्रशिक्षण अकादमी–** जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई नीट, क्लेट और यूपीपीएससी जैसी बड़ी परिक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु।
2. **भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना–** 8वी उत्तीर्ण युवक–युवतियो को उद्योग और सेवा इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना।
3. **मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना –**अनूसूचित जाति के लिए विशेष परियोजना वित्त पोषण।
4. **टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना–**स्वयं का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना।

प्रमुख योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमिता विकास योजना:

1) यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता के लिए बुनयादी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

2) इसमें 5 लाख रूपये तक का ब्याज- मुक्त ऋण और 5 लाख रूपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।

2. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना–यह अनूसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ:

1 **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान–** जनजातीय गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी ढाँचें, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सड़क और कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित पर ध्यान केन्द्रित करना।

2. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमत)–**जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए केन्द्र सरकार की एक पहल।

3. **अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता–** अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना।

तालिका क्र0 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

अध्ययन के उद्देश्य:

1 मध्यप्रदेश में अनूसूचित जाति व जनजाति की योजनाओं के बारे में अध्ययन करना।
2 अनूसूचित जाति, जनजाति की सामाजिक आर्थिक का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
3 आदिवासी वर्गो के कल्याण हेतु योजनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना:

1 अनूसूचित जाति वर्ग के एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग के अषिक्षित सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अन्तर नही है।
2 अनूसूचित जाति वर्ग में सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण एवं शिक्षा में सार्थक सह सम्बन्ध हैं।

शोध अध्ययन की पद्धतियाँ – शोध पत्र में अध्ययन के लिए द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम अनुभाविक विश्लेषण में प्रयोग किया हैं। उद्देश्य को पद्धति से तालमेल सहित वर्णात्मक विधि से तैयार किया गया हैं। पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ववर्ती शोध साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण का वर्णन किया गया हैं। इस शोध पत्र में सिद्धान्त के सार्वभौतिक स्थापना की जगह मध्यवर्ती दृष्टि हैं तथा उपकल्पना और सांख्यकीय जटिलता का मुख्य आधार नही मिया गया हैं।

शोध अध्ययन की पद्धति द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से पुस्तक शोध पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से व गजेटियर के माध्यम से डाटा एकत्र कर शोध पत्र तैयार किया गया हैं।

अनूसूचित जाति व जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति– अनूसूचित जाति के सदस्य पिढ़ी–दर–पिढ़ी निर्धन–शोषित, पीढ़ित एवं वंचित रहे है। जिसके अनुरूप ही उनका सामाजिकरण

अनूसूचित जाति व जनजाति की विशेषताएँ:

1. **सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन –** पारम्परिक अस्प्रष्यता के कारण सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।
2. **अधिकारों पर प्रतिबन्ध –** सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा तक पहुँच पर ऐतिहासिक प्रतिबन्ध।
3. **सामाजिक व्यवस्था –**अधिकतर पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था।
4. **आडम्बर –** अपने ऊपर कई सामाजिक आडम्बर थोपे हुए हैं।
5. **भौगोलिक अलगांव –** आमतौर पर पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, और अन्य समाज से कम मेलजोल रखते हैं।
6. **सांस्कृतिक पहचान –** एक समान भाषा और संस्कृति और साक्षा स्मृतियों जो संस्कृति को सहारा देती है।
7. **सवैधानिक मान्यता –** भारतीय संविधान के तहत इन दोनों समूहों को मान्यता प्राप्त हैं और उनके सरंक्षण के लिए कानूनी प्रावधान है।

8. **विशिष्ठ पहचान–** उनकी एक अलग पहचान होती हैं, जिसे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।

9. **अन्तर्विवाह समूह–** आमतौर पर उनके विवाह समूह के भीतर ही होते हैं।

निष्कर्ष– मध्यप्रदेश देश का एक ऐसा राज्य हैं, जहाँ पर पाँचवा व्यक्ति अनूसूचित जनजाति वर्ग का हैं। जो मूलत: किसान हैं और जल–जंगल–जमीन से उसका नाभि नाल का रिष्ता हैं। वह जंगल के उत्पाद पर गुजर–बसर करता हैं और प्रकृति के साथ सहयागी की भूमिका निभाते हुए उसकी रक्षा भी करता है।

इन आदिवासी वर्गो के कल्याण एवं विकास को सुनिचित करने के लिए मध्यप्रदेश की आयोजना मद का 21.09 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति व जाति उपयोजना के अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है और उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कई प्रकार की योजना चलाई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 तिवारी शिवकुमार एवं शर्मा, श्रीकमल (2009),'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, भोपाल' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2 तिवारी कपिल (2010),'सम्पदा मध्यप्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा का साक्ष्य', भोपाल आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी।
3 Gol (2011), Annual Report 2010-11, Ministry of Tribal Affairs. New Delhi, India.
4 अटल योगेश एवं सिसोदिया, पतीन्द्र सिहं (2011),'आदिवासी भारत', जयपुर:रावत पब्लिकेशन।
5 प्रसाद, गोमती,'रीवा संभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति एवं समीक्षात्मक अध्ययन' पी–एच.डी. (शिक्षा) अ.प्र. सिहं वि. वि. रीवा (म0प्र0) 2004.

तालिका क्रमांक 1.1: मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातिवार एवं लिंगवार जनसंख्या 2011

क्र.	अनू0 जनजाति	जनजातीय जनसंख्या			कुल जनजातीय जनसंख्या में प्रतिशत
		कुल	पुरूष	महिला	
1	अगरिया	41,243	20,706	20,537	0.27
2	आन्ध	137	70	67	0.0008
3	बैगा	414,526	207,588	206,938	0.71
4	भैना	6,357	3,192	3,165	0.04
5	भारिया, भूमिआ	1,29,230	97,574	95,656	0.26
6	कोरकू	265	156	109	0.001
7	कोल	1,167,694	595,338	572,356	7.62
8	कमार	666	333	333	0.004
9	मांझी	50,655	26,513	24,142	0.33
10	गोण्ड	5,093,124	2,549,973	2,543,151	33.25
11	भील मीणा	2,244	1,194	10,50	0.01
12	भील, भीलाला	5,993,921	3,016,445	2,977,476	39.13
	कुल अनुसूचित जनजातियाँ	12,900.062	6,519.082	6,444.980	8.175

कुल अनुसूचित जनजातियाँ:– 12

स्त्रोत:– आदिवासी शोध व विकास संस्थान भोपाल मध्यदेश के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (वर्ष 2011)

तालिका क्र0 1.2: मध्यप्रदेश की अनूसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उप योजना क्षेत्र (आकड़े लाख में जनगणना 2011)

क्र.	क्षेत्र	क्षेत्रफल का वर्ग कि0मी0	प्रदेश कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत	कुल जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश	3	–	603.48	122.33	20.27
2	अनूसूचित क्षेत्र	0.68	22.08	112.66	66.78	59.28
3	आदिवासी उप योजना क्षेत्र	0.93	30.19	130.35	82.9	63.6

स्त्रोत:–www.trobal.mp.gov.in/Tsp

****